न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या : 45/2021

अपीलान्ट

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बागोडा

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. सरपंच ग्राम पंचायत नरसाणा पंचायत समिति भीनमाल हाल बागोडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री किशोर कुमार, विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री नवीन कुमार गहलोत रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/03/2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12/03/2021 राजस्व वाद संख्या 02/2020 सरपंच ग्राम पंचायत नरसाणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बागोडा के प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया जाकर सरहद मौजा नरसाणा तहसील बागोडा में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 517 रकबा 5.07 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर की खातेदारी वाद के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–ब में मार्क सी से डी भाग को खसरा नम्बर 207 किस्म भूमि गैर मुमकिन आबादी में दर्ज करने की घोषणा की गई तथा खसरा नम्बर 207 के दक्षिणी हिस्से की तरफ परिशिष्ट–ब में मार्क सी से डी भाग मे नजरी नक्शे के रैकर्ड दुरूस्ती का आदेश पारित किया एवं अपीलान्ट के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर उसके साथ डिक्री की पालना स्थगित किये जाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 24/08/2021 को स्थगन आदेश पारित किया गया रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 27/10/2021 को एकपक्षीय स्थगन आदेश अपास्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं पत्रावली को उसी रोज पेशी में लेने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली तलब की गई तथा न्याय हित मे राजकीय अभिभाषक को उसकी सूचना देकर पत्रावली नियत तारीख दिनांक 16/11/2021 को वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत की गई बाद सुनवाई दिनांक 16/11/2021 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुये स्थगन आदेश यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी प्रस्तुत की गई जो निगरानी टिनेन्सी एक्ट संख्या 5962/2021 जिला जालोर कमला देवी सरपंच ग्राम पंचायत नरसाणा पंचायत समिति भीनमाल हाल बागोडा बनाम राजस्थान जरिये तहसीलदार बागोडा दर्ज की जाकर दिनांक 21/02/2022 को फैसल की गई जिसमे निगरानी को पोषणीय नही मानते हुये इस न्यायालय को एक माह के भीतर दोनो पक्षो का सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर की पालना मे सुनवाई तारीख पेशी से पूर्व करने का आग्रह किया जिस पर

अपीलान्ट को सूचित कर दिनांक 25.03.2022 को बहस हेतू पत्रावली नियत की गई दोनो पक्षो की बहस सुनी गई अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत नरसाणा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अधिकारो की घोषणा, किस्म परिवर्तन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया इसमें यह कथन किया कि ग्राम नरसाणा में स्थित पूर्व खसरा नम्बर 121 रकबा 126 बिघा गैर मुमकिन आबादी स्थित है। जिससे लगती हुई खसरा नम्बर 122 रकबा 119 बिघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन नरसाणा की भूमि आई हुई है। 126 बिघे का रकबा 20.38 हैक्टर बनता है एवं 119 बिघा 5 बिस्वा का रकबा 19.29 हैक्टर बनता है। रिसेटलमेन्ट के दौरान खसरा नम्बर 121 के नवीनखसरा नम्बर 128 रकबा 2.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 207 रकबा 17.44 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी कायम की जिसका कुल रकबा 20.27 हैक्टर बनता है। इस कारण 0.11 हैक्टर भूमि गलत तौर पर दक्षिणी भूजा में आबादी भूमि के अन्दर मोड देकर कम दर्ज की गई है एवं खसरा नम्बर 122 के नवीन खसरा नम्बर 208 रकबा 18.12 हैक्टर खसरा नम्बर 509/1707 रकबा 1.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन गोचर दर्ज करते हुये 19.89 हैक्टर भूमि दर्ज की है जो पूराने क्षैत्रफल से 0.60 हैक्टर अधिक है। उस बढे हुये रकबे मे से 0.11 हैक्टर भूमि ग्राम पंचायत नरसाणा की आबादी भूमि है जिसमें मकान निर्मित किये हुये है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की 0.11 हैक्टर भूमि गलत तरीके से राज्य सरकार के खाते में अलग दर्ज कर दी गई है जो रैकर्ड से प्रमाणित है। भू–प्रबन्ध अधिकारीयो को नये सिरे से खातेदारी हक देने अथवा कम करने का अधिकार प्राप्त नही है तथा न ही ऐसा कोई न्यायिक आदेश है। इस इन्द्राज की आड मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में बने हुये मकानो को तहसीलदार महोदय हटाने की धमकिया दे रहे है। इस कारण वादी ग्राम पंचायत 0.11 हैक्टर भूमि की खातेदारी उदघोषणा की अधिकारी है। पूराने सेटलमेन्ट के नक्शे परिशिष्ट–अ में लाल रंग से दर्शित मार्क ए से बी भूजा सीधी दर्शायी गई है लेकिन रिसेटलमेन्ट कै दौरान गलत तौर पर परिशिष्ट–ब में दर्शितानुसार सी से डी बिन्दू पर आराजी के अन्दर मोड देकर उक्त नक्शा सृजित कर खसरा नम्बर 517 में उक्त भूमि मिलाई गई है तथा सेटलमेन्ट के अधिकारीयो ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर कार्यवाही की है क्योकि मौके पर मकान निर्मित है गांव के नागरीक हरीसिंह पुत्र मलसिंह, राजपुत निवासी नरसाणा को खसरा नम्बर 517 में अतिक्रमण मानते हुये धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 297/2019 दर्ज कर अतिक्रमी घोषित किया है इस प्रकार ग्राम पंचायत की भूमि हडप करने का प्रयास किया गया है। तहसीलदार महोदय द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत करते हुये बताया कि रिसेटलमेन्ट हुये लगभग 40 वर्ष हो चुके है तथा हरीसिह के विरूद्व माफिक कानून कार्यवाही की गई है रिसेटलमेन्ट द्वारा मौके की भौतिक एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार सर्वे कर नक्शा बनाया गया है एवं खसरा नम्बर कायम किये गये है। वादी की तरफ कुल 12 दस्तावेजात राजस्व रैकर्ड से संबंधित प्रस्तुत किये गये है इसके विपरीत प्रतिवादी तहसीलदार की तरफ से कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो के अभिवचनो के अनुसार निम्न लिखित तनकीयात कायम की गई है –

1. आया पुराने खसरा नम्बर 121 रकबा 126 बिघा किस्म गैर मुमकिन आबादी प्रथम खतौनी बंदोबस्त मौजा नरसाणा में सम्वत् 2011 से 2029 मे वादी ग्राम पंचायत नरसाणा की खातेदारी दर्ज थी।

2. आया पूराने खसरा नम्बर 122 रकबा 119 बिघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गोचर मौजा नरसाणा की द्वितीय खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज थी

3. आया पुराने खसरा नम्बर 121 व 122 मौजा नरसाणा के पुराने नक्शे में लगतो लगत दर्ज थे।

4. आया पूराने खसरा नम्बर 121 रकबा 126 बिघा किस्म गैर मुमकिन आबादी, भूमि की खातेदारी वादी के खाते में एवं पूराने खसरा नम्बर 122 रकबा 119 बिघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गोचर की खातेदारी प्रतिवादी के खाते में द्वितीय सेटलमेन्ट से पूर्व मौजा नरसाणा के पूराने राजस्व रैकर्ड में दर्ज थी।

5. आया पुराने राजस्व रैकर्ड नक्शा में खसरा नम्बर 122 वाद के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ मे लाल स्याही से दर्शित मार्क ए से बी बिन्दू तक की भूजा सीधी दर्शार्ग हुई थी, लेकिन द्वितीय भू–प्रबन्धक विभाग ने नवीन नक्शा सृर्जित करते समय संलग्न नक्शा परिशिष्ट–ब में लाल स्याही से मार्क सी से डी बिन्दू तक की भूजा आबादी के अन्दर मोड देकर उक्त नवीन नक्शा मौजा नरसाणा कायम किया जाकर वादी की 0.11 हैक्टर भूमि बिना सक्षम न्यायिक आज्ञा कम दर्ज की।

6. आया नए खसरा नम्बर 517 मौजा नरसाणा पूराने खसरा नम्बर 332 से सृर्जित हुआ, उस नए खसरा नम्बर 517 का नवीन नक्शा गलत जगह कायम कर वादी की आबादी भूमि के नवीन नक्श की आकृति पूराने नक्शे की प्रविष्टि से भिन्न कायम की एवं प्रतिवादी के नाम अधिक भूमि दर्ज की वादी उक्त नवीन नक्शे की रैकर्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

7. आया ग्राम नरसाणा आबादी का कब्जा गत खसरा नम्बर 121 के भौतिक भू–भाग पर आया हुआ है प्रतिवादी संख्या 1 व खाते में अवैध दर्ज भूमि की आड में आबादी बस्ती की प्रतिवादी बेदखल करने पर उतारू होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है।

8. आया वादी ग्राम पंचायत नरसाणा के खाते में पूराने खसरा नम्बर 121 रकबा 126 बिघा की खातेदारी द्वितीय सेटलमेन्ट से पूर्व मौजा नरसाणा में दर्ज थी, जिसका द्वितीय सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान नये खसरा नम्बर 128 रकबा 2.83 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 207 रकबा 17.44 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी कुल क्षैत्रफल 20.27 हैक्टर ही ग्राम पंचायत नरसाणा के खाते में दर्ज की अर्थात 126 बिघा को बिघा से हैक्टर मे परिवर्तित करने पर मूल क्षैत्रफल 20.38 हैक्टर बनता है एवं 0.11 हैक्टर भूमि वादी ग्राम पंचायत नरसाणा के खाता में कम दर्ज की है। इस 0.11 हैक्टर भूमि को वादी खसरा नम्बर 207 में दर्ज करते हुये वादी की खातेदारी घोषित करावे एवं नवीन नक्शा की दुरूस्ती करावे तथा नए खसरा नम्बर 517 रकबा 5.04 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर क्षैत्रफल खातेदारी से कम किया जावे।

9. आया नए खसरा नम्बर 208 ाकबस 18.12 हैक्टर खसरा नम्बर 509/1707 रकबा 1.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 517 रकबा 5.04 हैक्टर भूमि मौजा नरसाणा का वर्तमान राजस्व रैकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से वादी खातेदारी पाने का अधिकारी नही है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुये यह कथन किया कि ग्राम नरसाणा की आबादी भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 126 बिघा, खसरा नम्बर 329 रकबा 11.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 325मीन रकबा 9 हैक्टर, खसरा नम्बर 328मीन रकबा 5 हैक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 31. 06 हैक्टर कुल 172.16 बिघा बराबर 27.97 हैक्टर दर्ज था। जिसका कुल रकबा 27.98 हैक्टर दर्ज किया गया जिसके 172 बिघा 17 बिस्वा रकबा बनता है। इस प्रकार 1 एयर रकबा

अधिक है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने जॉच रिर्पोट दिनांक 06/02/2019 का विवेचन गलत किया है आबादी घोषित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने गलती की अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 24/08/2021 को पेश की गई है। दोनो पक्षो की बहस में रेस्पोडेन्ट द्वारा सर्वप्रथम यह कथन किया गया कि अपीलान्ट की अपील प्रथमदृष्टया म्याद बाहर है क्योकि अपील के पद संख्या 5 में लॉकडाउन होने के कारण एवं अधिक कार्या मे व्यस्त होने के कारण जानकारी नही होने का उल्लेख किया है। परन्तु माह अप्रैल 2021 में लॉकडाउन हुआ था उसे पहले नही। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17/08/2021 को नकल प्राप्त होना लिखा है परन्तु सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम एवं अपील में यह कथन नही किया की निर्णय की नकल कब मांगी गई थी पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया की अपीलान्ट द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को दिनांक 30/03/2021 को एक पत्र प्रेषित कर अपीलाधीन निर्णय की अपील की जावे अथवा उसकी पालना की जावे इस संबंध में मार्ग दर्शन मांगा गया जिससे यह नही कहा जा सकता की अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही थी एवं जानकारी प्राप्त होने के बाद भी लम्बी अवधि तक अपील पेश नही करना यह सिद्व करता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सर्वप्रथम म्याद के बिन्दू पर सुना गया परन्तु इस संबंध मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के निर्णयो में अपीलीय न्यायालय को म्याद के बिन्दू पर उदार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये एवं जहा तक सम्भव हो गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये तथा म्याद के बिन्दू पर रेस्पोडेन्ट द्वारा काउन्टर शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। इस कारण न्याय हित में अपील को अन्दर म्याद सुमार करते हुये गुणावगुणा पर निर्णय करना उचित समझते है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई है जिसमे अधिकांश तनकी 1 से 4 राजस्व रैकर्ड से संबंधित है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140 के प्रावधानो के अनुसार राजस्व रैकर्ड की प्रविष्टियो को सही मानने के बारे उपधारणा की जावेगी जबतक कि उक्त प्रविष्टियो को प्रतिकूल साबित नही किये यह तक तनकी संख्या 1, 2 व 3 का संबंध है राजस्व रैकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेश से संबंधित है। जिनकी प्रविष्टियो के संबंध मे कोई खंडात्मक साक्ष्य अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय समक्ष पेश नही की गई है। जिससे तनकी संख्या 1 से 3 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही पारित किया गया है। तनकी संख्या 4 का संबंध भी राजस्व रैकर्ड पूराने खसरा नम्बरान की जमाबन्दी से इस कारण उक्त तनकी का निर्णय भी सही तौर पर जमाबन्दी इएक्स 1, इएक्स–2, नक्शा मिलनाक्षैत्रफल इएक्स– 6 व 7 का अवलोकन करने पर सही तौर पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तय किया जाना प्रमाणित होता है। तनकी संख्या 5 राजस्व नक्शे में मोड से संबंधित है इस संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के बयानो का अवलोकन किया एंव रैकर्ड पर उपलब्ध दोनो नक्शा ट्रेश का भी अवलोकन किया जिसमे परिशिष्ट–ब में आबादी की तरफ मोड दिया जाना स्पष्ट तौर पर जाहीर होता है जबकि पूराने नक्शे में परिशिष्ट–अ में ए से बी सिधी भूजा है। अपीलान्ट का यह भी कथन नही रहा है कि जो मोड दिया गया है वहा पर पूर्व में आबादी नही थी एवं गोचर भूमि थी जिस संबंध मे कोई साक्ष्य ही पेश नही की है। इसके विपरीत अपीलान्ट द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिर्पोट प्रस्तुत की है जिसका खण्डन किसी भी दस्तावेज अथवा मौखिक साक्ष्य से नही किया गया है। एवं न ही प्रथमसेटलमेन्ट के पश्चात् रिसेटलमेन्ट तक इस संबंध मे कोई कार्यवाही ही राज्य सरकार द्वारा की गई है। यहा तक की एक भी दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया गया है। न ही कोई मोखिक साक्ष्य ही करवाई गई है। जिससे यह प्रकट हो की ग्राम पंचायत द्वारा नागरीको का अतिक्रमण गोचर भूमि पर करवाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जा रहा है। इस प्रकार तनकी संख्या 6 जो नक्शा दुरूस्ती से संबंधित है रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष में सही तौर पर तय की गई है। तनकी संख्या 7 प्रदर्श–12 तहसीलदार बागोडा की जॉच रिर्पोट दिनांक 06/02/2019 में विवादित भूमि को आबादी भूमि होना बताया गया है तथा मौके पर वादी ग्राम पंचायत का कब्जा भी साबित है क्योकि स्वंय तहसीलदार द्वारा हरीसिंह को नोटिस दिया गया है तथा आबादी में बसे लोगो को बेदखल करने का प्रयास किया गया है इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी अपीलान्ट के विरूद्व सही तौर पर जारी की गई है। दिनांक 24/07/2020 को मौका रिर्पोट भू–अभिलेख निरीक्षक नरसाणा एवं पटवारी हल्का नरसाणा ने बिन्दू वार जो रिर्पोट पेश की है जिससे भी यह प्रमाणित है कि प्रथम सेटलमेन्ट से उक्त भूमि आबादी भूमि दर्ज थी। जिससे ग्राम पंचायत की भूमि खसरा नम्बर 517 मे अधिक दर्ज होने से वह भूमि ग्राम पंचायत के हिस्से में पूनः दर्ज किया जाना न्याय संगत है। क्योकि पूर्व आबादी भूमि होना राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित होना पाया जाता है एवं किसी प्रकार से राजकीय भूमि का कोई रकबा कम नहीं हो रहा एवं राजकीय पक्ष को किसी प्रकार कोई हानि नहीं हो रही अपितु इस प्रकरण से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि प्रभावित हो रही हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 7 व 8 का निर्णय सही तौर पर किया गया है तनकी संख्या 9 का निर्णय अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्व सही तौर पर किया गया है। इस संबंध मे आरआरटी 2020(1)पेज 24, आरआरटी 2001 (1) पेज 596, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जो निर्णय पारित किये गये है उससे भी मार्ग दर्शन पाता हूँ कि ग्राम पंचायत की भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से जो कम किया गया है एवं अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नही की गई है तथा न ही प्रतिरक्षा में कोई सवाल पुछा गया है जिससे कोई साहिता प्राप्त होती हो। सम्पूर्ण तथ्यो व परिस्थितियो को एवं कानूनी बिन्दूओ को देखते हुये अपीलान्ट की अपील सार हिन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रैकर्ड अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की एक प्रति साथ लगाकर प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली